न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

ठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 67/2019

निर्णय दिनांक :–

नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानपुरा तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू
2. उगमकंवर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानपुरा त. रतनगढ
3. जमनसिंह
4. प्रभूसिंह
5. बजरंगसिंह
6. सोहनसिंह

(3 से 6) पुत्रगण नारायणसिंह जाति राजपूत नि. हनुमानपुरा तहसील रतनगढ जिला चूरू

7. बच्चनकंवर पत्नी भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानपुरा त. रतनगढ
8. बनारसी पुत्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानपुरा त. रतनगढ
9. भींवसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानपुरा त. रतनगढ
10. पृथ्वीसिंह पुत्र छतुसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानपुरा त. रतनगढ
11. बड़ौदा राजस्थान क्षे. ग्रामीण बैंक शाखा सेहला त. रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री पेमाराम पूनिया अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के राजस्व रेकार्ड में अंकित नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 38 खेत ख.नं. 25 तादादी 7.6258 हैक्टेयर रोही ग्राम हनुमानपुरा में नानुसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/10 व खाता संख्या 5 ख.नं. 14 तादादी 10.9012 हैक्टेयर रोही ग्राम हनुमानपुरा में नानुसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/10 खातेदार दर्ज है।

2. राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश व लापरवाही से विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह के स्थान पर नानूसिंह पुत्र नारायणसिंह अकिंत कर दिया। प्रार्थी के राशनकार्ड, चुनाव मतदाता सूची, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह अकिंत है, जो सही है।

3. अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 25 तादादी 7.6258 हैक्टेयर व ख.नं. 14 तादादी 10.9012 हैक्टेयर रोही ग्राम हनुमानपुरा के राजस्व रेकार्ड में नानुसिंह पुत्र नारायणसिंह के स्थान पर सही नाम नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह अकिंत किया जावे।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट कमांक 750 दिनांक 30.10.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नही हुए।

5. तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार खेत ख.नं. 25 तादादी 7.6258 हैक्टेयर व ख.नं. 14 तादादी 10.9012 हैक्टेयर रोही ग्राम हनुमानपुरा के सम्बन्ध में जांच करने पर पाया गया कि राजस्व रेकार्ड में नानूसिंह पुत्र नारायणसिंह अकिंत है जबकि अन्य दस्तावेजात में नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह अकिंत है। प्रार्थी का नाम ग्रामवासियों ने भी नन्दूसिंह होना बताया है।

6. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेकार्ड मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, एवं सरपंच ग्राम पंचायत रतनसरा प.सं. रतनगढ एवं तहसीलदार रतनगढ की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का भलीभातिं अवलोकन किया गया। ख.नं. 25 तादादी 7.6258 हैक्टेयर व ख.नं. 14 तादादी 10.9012 हैक्टेयर रोही ग्राम हनुमानपुरा तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम नानूसिंह पुत्र नारायणसिंह अकिंत है जबकि अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम नन्दूसिंह अकिंत है। अप्रार्थीगण की ओर से भी कोई

26.11.19

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

आपति प्रस्तुत नही की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में शुद्व नाम अकिंत किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि संयुक्त खातेदारी के ख.नं. 25 तादादी 7.6258 हैक्टेयर व ख.नं. 14 तादादी 10.9012 हैक्टेयर रोही ग्राम हनुमानपुरा तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में शुद्वि की जाकर प्रार्थी का नाम "नानूसिंह पुत्र नारायणसिंह" के स्थान पर "नन्दूसिंह पुत्र नारायणसिंह" अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

Gsaini 28.11.19

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.30 15:43:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: